

फर्ट अहकाम

धन्नालाल

बनाम

सरदार दगै०

तय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० ५४ / २०२५

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पण
07.05.2025	<p>अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करने, वादी की आराजीयात पर कब्जा नहीं करने हेतु पाबंद कराने बाबत निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी, शपथ पत्र एवं दस्तावेज से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी ख० नं० २४९४ / १८३८ रकबा ०.१९३९ हे० वाकै ग्राम डेहरा तह० जोबनेर जिला जयपुर राज० कि विवादग्रस्त में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करें तथा वादी की आराजीयात पर कब्जा नहीं करे। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक ०४.०६.२०२५ को पेश हो।</p>	
५.६.२५	<p style="text-align: center;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपर्युक्त पूर्वलिखित की मालना से पत्रावली दिनांक ०४/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">dsc उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	
६.८.२५	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उत्तरे मपि.</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि.
		<p>रजिस्ट्रार के आदेश के अन्तर्गत। प्रार्थी को न्यायालय में दायर- प्रथम समग्र पर तीन-तीन बार आवेदन लगावाये गये। आवेदन आवेदन के उपरोक्त भी प्रार्थी के न्यायालय में दायर नहीं करने के कारण प्रार्थी अन्तर्गत आदेश न निम्न - 3 जा 0 सी 0 के तहत अदालत हाजरी व अदालत के से खारिज की गयी। प्रार्थी को लाल कुमार क्षेत्र नंबर से कम क्षेत्र दायर दायर है।</p>	
		<p style="text-align: right;"> 2026 उपखण्ड अधिकारी जोधनेर </p>	